तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.03.2023		

पत्रावली पेश हुई।.

प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित।

विप्रार्थी संख्या 01, 02 व 06 के अधिवक्ता उपस्थित।

विप्रार्थी संख्या 03 से 05 नोटिस तामील होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः विप्रार्थी संख्या 03 से 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस है कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार हैं और रिकार्डड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है। जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सेढा पर पक्की माठें व सीमा चिन्ह नहीं होने से विवाद पैदा होने के कारण प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काश्त करने से वंचित रह जाते है। काश्त के समय विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कांश्त कर दी जाती है, जिससे मौके पर विवाद की आशंका रहती है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि स्थाई समाधान के लिए नेखमबंदी आदेश प्रदान किया जावें।

इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 01, 02 व 06 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त आवेदन प्रार्थीगण द्वारा मनगढत एवं गलत तथ्यों के आधार पर मात्र विप्रार्थीगण के परेशान करने की नियत से पेश करने एवं भूमि का सीमाज्ञान नही करवाया होने के कारण चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गंभीरतावूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के रेकर्डेड खातेदार होने से अपनी आराजी की नेखमबंदी करवाने हेतु स्वतंत्र है। चूंकि मौके पर विवाद होने से प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी बाबत् आवेदन पेश किया गया है।विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आवेदन का जवाब भी पेश नहीं किया है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कानासर तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 617/419 रकबा 4.5325 हैक्टेयर विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थी द्वारा नियमानुसार वहन किया जायेगा। तत्पश्चात कार्यवाही विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक कानासर** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को पूर्व में जरीये नोटिस/पत्र से सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावें। कमिश्नर शुल्क 500/– प्रार्थी मौके पर अदा [illegible] आवश्यकता होने पर **एस.एच.ओ. शिव** से पुलिस इमदाद [illegible] है। **भू–अभिलेखं निरीक्षक कानासर** बाद पालना, पालना [illegible] प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.04.05 19:13:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned with OKEN Scanner